बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

राज्य मुख्यालय में विभागीय निविदा समिति एवं मुख्य अभियंता स्तर की निविदाओं के निष्पादन के क्रम में लॉटरी का आयोजन भिन्न–भिन्न दिन किया जाता है। कोरोना संक्रमण के आलोक में विभागीय पत्रांक 124/स0 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली लॉटरी को वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय संसूचित है, जिसमें संवेदकों की उपस्थिति समाप्त कर दी गई है।

वेबकास्टिंग के माध्यम से लॉटरी की प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया जाता है कि मुख्यालय स्तर पर सभी प्रकार की लॉटरी विभागीय निविदा समिति के आयोजन दिवस को एक–साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें क्रमबद्ध ढँग से अलग–अलग प्राधिकारों द्वारा लॉटरी का निष्पादन वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। लॉटरी निष्पादन के पूर्व संबंधित संवेदकों को कार्यपालक अभियंताओं के माध्यम से/सीधे सूचना संसूचित की जाएगी। यह प्रक्रिया विभागीय सभाकक्ष में की जाएगी तथा वेबकास्टिंग के अतिरिक्त प्रक्रिया की लाईव रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी।

विभागीय निविदा समिति की लॉटरी की प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए अभियंता प्रमुख को प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

15/5/20

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– 1426 पटना, दिनांक– 20/5/2020

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/20

सचिव

ज्ञापांक– 1426 पटना, दिनांक– 20/5/2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

15/5/20

सचिव